आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं0– .... से ....

जिला – गिरिडीह, अंचल – धनवार, विविध वाद सं0– 29 / सन–2020– 21

केस का प्रकार – विविध वाद

<table>
<tr><th>आदेश का क0 सं0 और तारिख</th><th>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</th><th>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>20.12.2024</td><td>–:आदेशः –

यह विविध वाद अभिलेख सं0– 29 / 2020–21 आवेदक मुंशी यादव, पिता– शोभी महतो, साकिन– बेलदारडीह, थाना– धनवार के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं0– 06, श्री रामलखन मिस्त्री के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है।

जाँच प्रतिवेदन निम्न प्रकार है : –
1. सर्वे खतियान के अनुसार मौजा– खेरवानी , थाना नं0– 244, खाता सं0– 32, प्लॉट नं0– 897, रकवा– 32.76 ए0 एवं प्लॉट नं0– 899, रकवा– 22.48 ए0 भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास किस्म जमीन जंगल दर्ज है।
2. उक्त भूमि मुंशी यादव वगैरह के दादा बढन महतो, साकिन– बेलदराडीह को मौजा– खेरवानी में खाता सं0– 32 / 82, प्लॉट नं0– 897 / 1053, रकवा– 4.95 ए0 भूमि चलता खतियान से प्राप्त है। संलग्न रजिस्टर– II एवं लगान रसीद का छायाप्रति के अनुसार हल्का में उपलब्ध पंजी– II में जमाबंदी कायम नहीं है।
3. लक्ष्मण महतो वगैरह के पिता अकलु महतो, साकिन – खेरवानी को मौजा– खेरवानी में खाता सं0– 32, प्लॉट नं0– अस्पष्ट कुल दो प्लॉट रकवा लगान रसीद के अनुसार 2.22 ए0 भूमि बिहार भू–दान यज्ञ कमिटि के द्वारा प्राप्त है। पंजी– II के पृष्ठ सं0– 47 / II पर लगान रसीद वर्ष 2009 – 10 तक निर्गत है।
4. स्थानीय जाँच के कम में देखा गया कि लक्ष्मण महतो वगैरह के द्वारा मकान निर्माण का कार्य किया जा रहा है। दोनों पक्षों के द्वारा एक ही स्थल पर अपना – अपना दावा करने का कारण विवाद बना हुआ है।

जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर पक्ष रखने को कहा गया। दिनांक– 13.12.2024 को उभय पक्ष उपस्थित होकर कहा कि उभय पक्षों में समझौता हो गया। तथा लिखित में समझौता संबंधी जानकारी देते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त करने का अनुरोध किया है।

चूँकि अभय पक्ष में समझौता हो गया है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त करते हुए अभिलेख की कार्रवाई बंद किया जाता है। विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित।

20.12.24
अंचल अधिकारी,
धनवार।

20.12.24
अंचल अधिकारी,
धनवार।</td><td></td></tr>
</table>

Digitally signed by Gulzar Anjum
Date: 2024.12.21 10:29:50 +05:30
Location: 192.168.137.1